

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिंगरिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2023/210)

प्रकरण संख्या:- 152/2023
तारीख दायर:- 23/10/2023
निर्णय दिनांक:-30/10/2025

उनवान

1. नारायण पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी बाघा खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
प्रार्थी

बनाम

1. डाउलाल पिता पेमाराम जाति गुर्जर निवासी बारवालों का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. चुना पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी बाघा खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. जगु पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी बाघा खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. गणेश पिता गोमा जाति गुर्जर निवासी बाघा खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राज्य सरकार प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम बाघाखेडा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 12 आराजी संख्या 319 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 04 की मृत्यु होने से अधिवक्ता प्रार्थी कायम मुकाम का प्रार्थना पेश नहीं करना चाहा। अप्रार्थी संख्या 05 भूमिधारी पैरोकार सरकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को



सीमाज्ञान/पत्थरगढी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) में अभिधारी को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा में एक सह अभिधारी (सहखातेदार) भी अभिधारी के रूप में अभिव्यक्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम बाघाखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 12 आराजी संख्या 319 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। पत्थरगढी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



(मोहकम सिंह सिनसिन्वार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिल्ला राजसमन्द (राज.)